


17.6.25

पत्रावली पेश हुई। वार्डों की अधिवक्ता अल्पस्थिति
प्रकरण लम्बे समय से तामील होने जिनमें हैं। वार्डों की अधिवक्ता
को आवाजें लगवटि गईं बावजूद इसके कोई उप-
नहीं हुआ। जितने जाहिर हैं कि वार्डों अपने वाद के
प्रति गंभीर नहीं हैं तथा वाद चलाना नहीं चाहते।
अतः वार्डों का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अल्प-
हानरी - अल्प पैरवी के आदि विद्यमान है। निर्णय के
आवाजें उनादा गया।

प्रकरण फैसल सुनाए जाने पर से कम हो।


(शोभिका कुमारी)

DAS